न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना
बइजलास – रिछपाल सिंह बुरड़क, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 04/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर जिला नागौर		1. श्री पन्नाराम गुर्जर पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी शाहजी का बगीचा, स्टेशन रोड़ कुचामन सिटी, जिला नागौर फर्म–महाकाल डेयरी

आदेश

दिनांक:25.01.2021

1–प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी दिनांक **31.07.2020.** को मैसर्स **महाकाल डेयरी** पर पहुँचा जहॉ पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला,दुध बेचता उपस्थित मिला । उस व्यक्ति को मैनें अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। तथा दूघ विक्रेता नाम पता पूछने पर अपना नाम पन्नाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर स्थायी निवासी शाहजी का बगीचा कुचामन सिटी जिला नागौर विक्रेता की हैसियत से दुघ बेचता मिला, तथा आम जनता को विकय वास्ते पनीर, दूध आदि रखे पाये। विक्रेता से पुछने पर, लगभग 5 किलो पनीर डीप फ्रीज के अन्दर प्लास्टिक की थैली में आमजन को विकय वास्ते रखा हुआ था। मूझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने एवं विक्रेता को प्रपत्र –5 ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र–5 ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह पनीर का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त प्लास्टिक थैले में रखे लगभग 5 किलो पनीर को अच्छी तरह से हिलामिलाकर में से 1 किलो खोया तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू0 260/–अक्षरे दो सौ साठ रू0 मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे,गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है।नमूना वास्ते जॉच लिया जाकर सीरीयल कोड नं0 **Q-1304** अंकित किया गया उक्त नमूने की जांच खाद्य **विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजथान को दिनांक** 04.08.2020 से करवाई गयी। खाद्य सुरक्षा धिकारी को श्रीमान डीओं एवं मूख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के पत्र कमांक चिकि/एफएसएसए/जॉरिपोर्ट/2020/370–71 दिनांक 14.09.2020 के साथ संलग्न जॉच रिपोर्ट संख्या LS/210/Act/2020/105 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (zz) (iv), 3 (1) (zz) (iv) के तहत अनसेफ होना पाया गया। यह है कि मैसर्स महाकाल डेयरी, के विक्रेता मालिक पन्नाराम खाद्य विश्लेषक अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नही होने के कारण विक्रेता मालिक ने अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

एवं मूख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के समक्ष फार्म न0 8 डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने नमूने का द्वितीय भाग श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को पुनः भिजवाया गया । अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के पत्रंक चिकि/एफएसएसए/RFL-Pune/2020/665-66 दिनांक 14.12.20 के साथ संलग्न निदेशक, रेफरल फूड लैबोरेट्री पुणे का विश्लेषण सर्टिफिकेट नं0 RFL/DO/342/20/696/2020 दिनांक 18.11.2020 के अनुसार खाद्य पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1.(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त **पन्नाराम गुर्जर पुत्र देवाराम जाति गुर्जर मैसर्स महाकाल डेयरी, स्टेशन रोड़ कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर स्थायी निवासी शाजी का बगीचा, स्टेशन रोड़कुचामन सिटी जिला नागौर** ने एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) धारा का उल्लंधन किया हे। जिसका जुर्माना एफएसएसए एक्ट 2006 एव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माना से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2–खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक **24.8.2020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 8.9.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक **06.11.2020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरी दुकान से पनीर का सम्पल लिया ,जो बाद जॉच अमानक होना पाया गया। मैने पनीर बनाने में समस्त शुद्ध सामग्री का उपयोग किया था,फिर भी यदि पनीर में किसी प्रकार की अमानक होना पाया है तो मै इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि आगामी समय में की भी ऐसी गलती नही दोहराउगा।

3–खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सूना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट सख्या LS/210/Act/2020/105 दिनांक 11.08.2020के अनुसार खाद्य पदार्थ अनसेफ होना पाया गया। तथा निदेशक, रेफरल फूड लैबोरेट्री पुणे का विश्लेषण सर्टिफिकेट नं0 RFL/DO/342/20/696/2020 दिनांक 18.11.2020 के अनुसार खाद्य पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1.(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए एक्ट 2006 एव नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी द्वारा अपराध करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी पन्नाराम गुर्जर पुत्र देवाराम जाति गुर्जर शाहजी का बगीचा स्टेषन रोड़ कुचामन सिटी जिला नागौर पर रूपये.15,000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह .हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि मे शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

4—आदेश दिनांक 25.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर,
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना